:: न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0,ग्वालियर ::

समक्ष

डॉ0 एम0के0अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरारनी/1139/तीन/2008–विरूद्ध आदेश दिनांक 11.07.2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर–प्रकरण क्रमांक 351/2005–06/निगरानी।

जमनालाल पुत्र धनलाल,निवासी ग्राम जामनेर
तहसील राघौगढ,जिला गुना,म0प्र0। ------निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. राजेन्द्र पुत्र घासीराम।
2. भंवरलाल पुत्र खुशीलाल।
3. ब्रजमोहन पुत्र रामचरन।
4. रामनारायन पुत्र रामचरन।
5. शंभू सिंह पुत्र रामचरण।
6. कैलाश पुत्र रामचरण।
7. मुकेश पुत्र रामचरण।
8. संतोष पुत्र रामचरण।
9. रामकन्याबाई पुत्री रामचरण
   पत्नी कैलाश।
10. रामदुलारीबाई पुत्री रामचरण
    पत्नी बनवारीलाल निवासी जामनेर।
11. कमलाबाई पुत्री रामचरण पत्नी
    बनवारीलाल निवासी सिरोंज,तहसील विदिशा।
12. मुन्नीबाई पुत्री रामचरण पत्नी हेमराज,
    निवासी राघौगढ,जिला गुना,म0प्र0। -----गैरनिगरानीकर्तागण

1. श्री ए0के0अग्रवाल, अभिभाषक----------निगरानीकर्ता के लिये।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 18-5-18 को पारित)

यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 351/2005–06/ निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11.07.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष गैरनिगरानीकर्ता–1 के द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 48 की पूर्व दिशा की ओर रास्ता बंद कर दिये जाने के कारण उसे खुलवाऐ जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ–13/97–98 पर पंजीवद्ध करते हुये आदेश दिनांक 07.11.98 से रास्ता खुलवाऐ जाने का आदेश दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.98 से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी,राघौगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 06/98–99/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 27.07.99 से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.98 निरस्त करते हुये आवश्यक निर्देशों के साथ प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। प्रकरण विचारण न्यायालय में प्राप्त होने के बाद आदेश दिनांक 03.09.2002 से रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता जमनालाल आदि के द्वारा पुनः अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 46/2002–03/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 09.12.2003 से प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये पुनः प्रकरण विचारण न्यायालय को आवश्यक निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी,राघौगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2003 से व्यथित होकर गैरनिगरानीकर्ता क्र0 1 व 2 के द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर,जिला गुना के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी,जो प्रकरण क्रमांक 06/2003–04/निगरानी माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 20.10.2005 से अनुविभागीय अधिकारी,राघौगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12. 2003 निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09. 2002 यथावत रखा गया। अपर कलेक्टर,जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2005 से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता के द्वारा अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में निगरानी पेश की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 351/2005–06/निगरानी पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 11.07.2008 से निरस्त की गयी। परिणामतः निगरानीकर्ता के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आहूत किया जाकर निगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक के तर्क सुने गये।

4. निगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्ही विन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये है, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क पेश किये गये कि अपर कलेक्टर, एवं अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा आदेश पारित करने से पहिले इस बिन्दु पर विचार कर लेना चाहिये था कि अनुविभागीय अधिकारी,राघौगढ द्वारा अपने आदेश में जो निर्देश विचारण न्यायालय को दिये गये थे, विचारण न्यायालय द्वारा उन निर्देशों का पालन किया है अथवा नहीं। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्थल निरीक्षण करने हेतु आदेश किया गया था किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गयी है, वह बिना तिथि नियत किये तथा निगरानीकर्ता को बिना कोई सूचना व सुनवाई का अवसर दिये की गयी है। इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी,राघौगढ द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया था, जो विधिसंमत आदेश था किन्तु अपर कलेक्टर, जिला गुना के द्वारा आधारहीन निगरानी को स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी,राघौगढ द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर तथा उभयपक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद ही आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार बार–बार सुनवाई का अवसर देने के लिये प्रकरण को प्रत्यावर्तित किये जाने का कोई आधार नही हैं। अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा भी इसे उचित मानकर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने में भूल की गयी है। अतः अपर कलेक्टर, जिला गुना एवं अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त किये जावे तथा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. गैरनिगरानीकर्तागण के विरूद्ध पूर्व से ही एकपक्षीय कार्यवाही आदेशित है।

6. मैनें प्रकरण में निगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष गैरनिगरानीकर्ता–1 के द्वारा अपने खेतों पर जाने के रास्ते को निगरानीकर्ता के द्वारा अवरोध पेदा करने से उसे हटाये जाने तथा रास्ता खुलवाये जाने बावत संहिता की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन पत्र पेश किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीवद्ध करते हुये कार्यवाही प्रारंभ की गयी। समस्त

औपचारिकताऐं पूर्ण कर लेने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.11.98 से आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.98 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, राघौगढ के समक्ष निगरानीकर्ता के द्वारा पेश की गयी। अनुविभागीय अधिकारी,राघौगढ द्वारा प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 27.07.99 को स्वीकार करते हुये आवश्यक निर्देशों के साथ प्रकरण सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,राघौगढ द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुशरण तथा पालन करते हुये आदेश दिनांक 03.09.2002 से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2002 से व्यथित होकर पुनः अपील अनुविभागीय अधिकारी,राघौगढ के समक्ष निगरानीकर्ता के द्वारा पेश की गयी। अनुविभागीय अधिकारी,राघौगढ द्वारा आदेश दिनांक 09.12.2003 से अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश दिनांक 09.12.2003 से परिवेदित होकर गैरनिगरानीकर्ता क्र0 1 व 2 के द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर, जिला गुना के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपर कलेक्टर,जिला गुना द्वारा यह मानकर अनुविभागीय अधिकारी,राघौगढ द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया कि पूर्व में भी प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जा चुका है अतः पुनः प्रतिप्रेषित करना विधिक त्रुटिपूर्ण है। अतएव प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की गयी। उक्त आदेश से दुखी होकर निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिसे अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 11.07.2008 से निरस्त कर दी गयी।

जहां तक निगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक का मुख्य रूप से यह तर्क कि विचारण न्यायालय द्वारा न तो स्थल निरीक्षण किया गया और न उसे कोई सूचना अथवा सुनवाई का अवसर दिया गया। इस संबंध में अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा विचाराधीन आदेश दिनांक 11.07.2008 में पूर्ण विवेचना की जा चुकी है। पुनः उसी को दोहराये जाने का कोई कारण नहीं पाता हूं। यह सही है कि यदि प्रकरण को बार बार प्रतिप्रेषित किया जाता रहा तो न्याय ही विफल हो जावेगा और पक्षकारों को अनावश्यक रूप से कठिनाईयों का सामना करना होता है। 2002 रे0नि0 113 बाबूसिंह विरूद्ध जसवंतसिंह,1984 रे0नि0 311 रमेश विरूद्ध नन्दनप्रसाद तथा 1996 रे0नि0 157 अशोककुमार विरूद्ध राजेन्द्रसिंह में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्पि इस धारा में तहसीलदार को अंतरिम आदेश देने की शक्ति स्पष्ट रूप से

नहीं दी गयी है तथापि धारा 32 के अधीन प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को प्रयोग करते हुये उपर्युक्त मामलों में अंतरिम आदेश देकर मार्ग का अवरोध हटाया जा सकता है। आनुकाल्पिक मार्ग के प्रयोग का आदेश दिया जा सकता है परंतु अंतरिम आदेश बिना किसी जांच के तथा अन्य पक्षकार को सुने बिना नहीं देना चाहिये किन्तु स्थल निरीक्षण के पश्चात तहसीलदार का समाधान हो जाने पर अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है इसके लिये विस्तृत जांच तथा पक्षसर्थन की आवश्यकता नहीं है।

विचारण न्यायालय के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राघौगढ से प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर प्रकरण में स्थल निरीक्षण किया जाकर तथा उभयपक्षकारों को पर्याप्त साक्ष्य और सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिनांक 03.09.2002 को दिया गया था। अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी,राघौगढ द्वारा पुनः उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर दिया गया। इस प्रकार प्रकरण बार बार प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नही है। अपर कलेक्टर,जिला गुना एवं अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा इस संबंध में जो निष्कर्ष निकाले गऐ है वे तथ्यों के आधार पर समवर्ती निष्कर्ष है ओर ऐसे तथ्यों के आधार पर निकाले गये समवर्ती आदेशों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नही है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2008 विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता हैं और प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0 के0 अग्रवाल)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0,ग्वालियर